न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—08/2018 (2018/00221) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मदनबाई पत्नि धर्मचन्द जैन निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अर्जुनलाल पुत्र भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—चंदादेवी पत्नि भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गोपी पुत्र उदा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सोहन पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नारायण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नंदुदेवी पत्नि रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सार्वजनिक निमार्ण विभाग, रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. हरिश टेलर — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—12.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 3 के पति भैरूलाल आत्मज रामलाल सोनी के खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 361 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 369/3क/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 355/3ग/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित थी। इसी प्रकार प्रार्थीया संख्या 3 के खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 368 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। साबिक आराजी संख्या 355/3ग/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पुराना रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा था, जिसमें से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति भैरूलाल ने खरीदी जिसके नये नम्बर 1297 पड़े तथा शेष रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा रहा, जिसके नये नम्बर 1526 पड़े जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 लगायत 6 के नाम अकिंत है। उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा रहा है जिसके नवीन नम्बर बन्दोबस्त के दौरान साबिक आराजी संख्या 361 के नवीन नम्बर 1296 रकबा 0.62 है0, साबिक आराजी संख्या 355/3ग/1 के नये नम्बर 1297 रकबा 0.47 है0 तथा 1526 रकबा 0.23 है0, तथा साबिक आराजी संख्या 369/3क/2 के नये नम्बर 1525 रकबा 0.48 है0 तथा साबिक आराजी संख्या 368 के नवीन नम्बर 1522 रकबा 0.27 है0 बने है। साबिक आराजी संख्या 355/3ग का कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा था जिसमें से भैरूलालजी ने 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि खरीदी, इस टुकड़े के नवीन नम्बर 1297 पड़े है तथा रजिस्ट्री में उत्तर दिशा इसी आराजियात का शेष भाग बताया गया है जो 1 बीघा 1 बिस्वा होकर नवीन नम्बर 1526 बने है। जो विपक्षी संख्या 3 लगायत 6 के नाम के नाम दर्ज है को उत्तर की जगह पूर्व में फीट कर दिया जो गलत है। विपक्षी संख्या 2 से 6 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पास स्थित है और साबिक नक्शे में भी फिट है साबिक आराजी संख्या 355/3ग का शेष [illegible] रामचन्द्र के पास ही रहा जिसके नवीन नम्बर 1526 पड़े लेकिन नवीन नक्शे में गलत [illegible] कर [illegible]या प्रार्थीगण के नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:57:52 IST
Reason: SelfAttested

आराजी संख्या 1525 को भी गलत ढंग से तरमीम कर दिया आराजी 1526 जो साबिक नम्बर रजिस्ट्री एवं मौके की स्थिति के अनुसार आराजी 1297 के उत्तरी तरफ फीट होनी चाहिये जो नही कर पूर्वी तरफ फीट कर दिया राजस्व रेकार्ड में आराजी 1296, 1297, 1525 भैरूलाल पिता रामलाल सुनार के नाम दर्ज रेकार्ड है विपक्षी 1 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है जिसे पक्षकार बनाया गया अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि ग्राम केमुणिया की वादवर्णित आराजी संख्या 1525 जिसकी दक्षिणी पाली साबिक नक्शे में रोड़ के पास थी जिसको पूर्ववत करायी जावे और आराजी संख्या 1297 को सड़क की तरफ साबिक नक्शे एवं रजिस्ट्री में वर्णित पड़ौस के अनुरूप नवीन नक्शे में भी फीट करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के न्यायालय में प्रकरण 07/2007 दर्ज होकर दिनांक 17.12.2009 को खारीज किया गया उस निर्णय के विरूद्व माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 06.07.2017 को प्रति प्रेषित किया गया जिसमें निर्देशित किया कि उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे जिस पर प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 12.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया विपक्षी 3 लगायत 6 की ओर से जवाब पेश कर अकिंत किया गया कि आराजी संख्या 1526 रकबा 0.23 है0 पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा और न वर्तमान में है भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो नवीन नम्बर और रकबा दर्ज किया गया जो सही है। आराजी संख्या 1297 के उत्तर दिशा में आराजी संख्या 1536 नही दर्शाया गया बल्कि साबिक नक्शे और मौके की स्थिति के अनुसार आराजी संख्या 1526 को सही तरमीम किया गया आराजी 1524, 1525, 1526 एवं 1297 को किसी भी रूप से गलत फीट नही किया है और सभी नम्बरो का मौके पर एक चक बना हुआ जिसकी सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नही है और अन्त में मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि साबिक आराजी संख्या 355/3ग, 369/2 एवं 369 सभी नम्बर सड़क प्रार्थी एवं विपक्षी सभी में मिला हुआ है मौका रिपोर्ट जो तैयार की गई है जो मौके से विपरीत तैयार की गई है प्रार्थीगण का मौके पर किसी आराजियात पर कब्जा नही है एक प्रकरण 241/2010 लक्ष्मण वगैरा बनाम आजाद खां उसमें कब्जेधारीयो द्वारा आराजी संख्या 1526 रकबा 0.23 है0 भूमि पर एडवर्स पजैसन को आधार मान कर खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया उसमें प्रार्थीगण अर्जुनलाल, जगदीश, भगवतीलाल प्रतिवादी पक्षकार थे जिनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होकर डिक्री पारित हुई। अपील न्यायालय द्वारा भी डिक्री को पुष्ट की गई प्रकरण में अल्लानुर को पक्षकार नही बनाया गया जब तक न्यायालय श्रीमान की डिक्री दिनांक 12.06.2017 व अपील न्यायालय की डिक्री दिनांक 12.03.2020 की पालना होकर आराजी 1526 का कब्जा विपक्षीगण को नही मिल जाता तब तक पत्रावली की सुनवाई स्थगित किया जाना आवश्यक है। तब तक प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। मौका रिपोर्ट पर भी आपत्ति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की मौका रिपोर्ट पर की गई आपत्ति पर बहस सुनी गई एवं उसके बाद मूल प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि मूल खातेदार रामचन्द्र पिता उदा कुम्हार के द्वारा ग्राम केमुणिया की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 355/3ग रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जमीन मे से रकबा 2 बिघा 4 बिस्वा भूमि श्री भैरूलाल पिता रामलाल स्वर्णकार जाति सुनार निवासी रायपुर को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के दिनांक 26.05.1981 को भूमि विक्रय की गई विक्रयशुदा रकबे का पड़ौस पूर्व सड़क गंगापुर जाने वाली पुश्चिम का पड़ौस गंगाराम कुम्हार की जमीन उत्तर में आराजी नम्बर [illegible] रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा विक्रेता की भूमि और दक्षिण में भैरूलाल की आराजी उपरोक्त चारो [illegible] बीच की जमीन विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:57:52 IST
Reason: SelfAttested

की गई है प्रार्थीगण भी उसी विक्रय पत्र के एवं साबिक रेकार्ड के अनुसार नवीन रेकार्ड में दुरस्ती चाहते है जहां तक विपक्षी का कथन है कि अल्लानुर के पक्ष में कब्जे के आधार पर डिक्री जारी हुई है और उसकी पालना हेतु इजराय भी विचाराधीन है तब तक प्रकरण में आगामी कार्यवाही स्थगित रखी जावे। इस प्रकरण में वर्णित साबिक और हाल आराजियात में अल्लानुर नाम का कोई खातेदार दर्ज रेकार्ड नही है अल्लानुर के द्वारा जो डिक्री पारित कराई गई है वो इस प्रकरण में वर्णित साबिक और हाल आराजी के मुकाबले शुन्य है। प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई मौका रिपोर्ट में अकिंत किया कि आराजी नम्बर 1296, 1297, 1525 किता 3 रकबा 1.57 है0 भूमि प्रार्थीगण के वारीसान अर्जुनलाल पिता भैरूलाल 3/10, मनीषकुमार, नवीनकुमार पिता भगवतीलाल शिखा पुत्री भगवतीलाल नवीन ना.बा.ब.वि. भाई मनीष 3/10 लादुलाल पिता धर्मचन्द 2/5 के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं आराजी नम्बर 1526 रकबा 0.23 है0 भूमि प्रतिवादी के वारीसान लक्ष्मण सोहन, नारायण पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1296 एवं 1525 के सम्पूर्ण रकबे पर एवं आराजी नम्बर 1297 रकबा 0.47 है0 मे से 0.29 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा है शेष रकबा 0.18 है0 पर अन्य खातेदार (लक्ष्मण सोहन, नारायण पिता रामचन्द्र) का कब्जा होना बताया प्रतिवादी की आराजी 1526 रकबा 0.23 है0 मे से 0.18 है0 भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है और शेष रकबा 0.05 है0 पर स्वयं खातेदार का कब्जा है नवीन रेकार्ड में आराजी नम्बर 1526 मे से दक्षिण दिशा का रकबा 0.18 है0 प्रार्थीगण के एवं आराजी नम्बर 1297 के उत्तर दिशा में 0.18 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना प्रस्तावित किया है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी मूल बिन्दु यह उठाया कि साबिक आराजी संख्या 355 मे से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को विक्रय किया गया है जिसके पड़ौस रजिस्ट्री में दर्ज है शेष 1 बिघा 1 बिस्वा भूमि मूल खातेदार के रखी गई है उसी अनुरूप नक्शे में दुरस्ती की जावे और अन्त में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा भी इस बात पर सहमति व्यक्त की गई अल्लानुर के पक्ष में जारी डिक्री की पालना कराते हुए साबिक रेकार्ड अनुसार दुरस्ती की जावे। इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण 241/2010 इजराय 02/2020 में वर्णित आदेश इस प्रकरण में वर्णित आराजियात पर प्रभावहीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण 241/2010 इजराय 02/2020 में वर्णित आदेश इस प्रकरण में वर्णित आराजियात पर प्रभावहीन होने से ग्राम केमुणिया के साबिक नक्शे मे अकिंत साबिक आराजी नम्बर 355/3ग रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा भूमि के अनुरूप नवीन आराजी नम्बर 1526 रकबा 0.23 है0 भूमि मे से 0.18 है0 भूमि आराजी नम्बर 1525 से सटमा भूमि प्रार्थीगण के नाम एवं इस रकबे बदले आराजी नम्बर 1297 रकबा 0.47 है मे से 0.18 है0 भूमि प्रतिवादी लक्ष्मण सोहन, नारायण पिता रामचन्द्र के नाम रेकार्ड में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरस्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.11.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:57:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—08/2018 (2018/00221) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मदनबाई पत्नि धर्मचन्द जैन निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अर्जुनलाल पुत्र भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—चंदादेवी पत्नि भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गोपी पुत्र उदा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सोहन पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नारायण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नंदुदेवी पत्नि रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सार्वजनिक निमार्ण विभाग, रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण 241/2010 इजराय 02/2020 में वर्णित आदेश इस प्रकरण में वर्णित आराजियात पर प्रभावहीन होने से ग्राम केमुणिया के साबिक नक्शे मे अकिंत साबिक आराजी नम्बर 355/3ग रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा भूमि के अनुरूप नवीन आराजी नम्बर 1526 रकबा 0.23 है0 भूमि मे से 0.18 है0 भूमि आराजी नम्बर 1525 से सटमा भूमि प्रार्थीगण के नाम एवं इस रकबे बदले आराजी नम्बर 1297 रकबा 0.47 है मे से 0.18 है0 भूमि प्रतिवादी लक्ष्मण सोहन, नारायण पिता रामचन्द्र के नाम रेकार्ड में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरस्त की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

12/11/2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:57:52 IST
Reason: SelfAttested